App – A
Crim-1

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 20)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

नवान रामबाबू बनाम रेणू वगैरह   किस्म मुकदमा : अस्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 405 A/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2024	मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र श्री सीमाराम शर्मा ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकलें राजस्व अभिलेख पर गौर किया गया। एवं प्रथम पक्ष की एकतरफा बहस सूनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपूर्णिय क्षति की संभावना को देखते हुए अप्रार्थीगण को प्रकरण में आगामी पेशी तक ख0नं0 2331/3 रकबा 0.3415 है0, ख0नं0 2340 रकबा 0.2782 है0, ख0नं0 2341 रकबा 0.1518 है0, ख0नं0 2344/3 रकबा 0.2276 है0, ख0नं0 2345/2 रकबा 0.0632 है0, ख0नं0 2347/2 रकबा 0.1391 है0, ख0नं0 2968/5 रकबा 0.2782 है0, ख0नं0 2669/1 रकबा 0.5059 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.9855 है0, ख0नं0 3053/1 रकबा 4.0848 है0 वाके ग्राम कस्बा निवाई में स्थित भूमि में रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जावे। यदि इस आदेश से कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करें। तलबी अप्रार्थीगण की जरिए रजि0एडि से की जाकर एवं रजि0 एडि पेश नहीं करने पर यह आदेश स्वतः खारिज समझा जायेगा। पत्रावली आगामी दिनांक 7/11/24 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	
7/11/24	पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली मतादेशानुसार दिनांक 27/11/25 को पेश हो।	
18/11/24	प्रार्थी / वादी की ओर से 3 / [illegible] बाबत [illegible] तलबी [illegible] पेश करने पर पत्रावली आज दिनांक 18/11/24 को तलब की उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	

जाकर पेश हुई प्रार्थिया वादिगण की ओर से
उनके अधिवक्ता प्रार्थना पत्र वापिस वाद
लिये करने हेतु पेश करते हुये निवेदन
किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर
प्रार्थी को वाद पेश करने की अनुमति
प्रदान करते हुये वाद लिये जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं
मूल प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार
किया जाकर पत्रावली खारिज की जाती है
पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)